# 23 आबकारी अधिकारियों ने लगाई अग्रिम जमानत याचिका, 18 जुलाई को विशेष कोर्ट में होगी सुनवाई

**राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर :** शराब घोटाला मामले में आरोपित बनाए गए 29 में से 23 आबकारी अधिकारियों ने गिरफ्तारी की आशंका पर सोमवार को विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। इस याचिका पर कोर्ट ने 18 जुलाई को सुनवाई की तिथि नियत की है। आबकारी विभाग ने 10 जुलाई को बड़ा एक्शन लेते हुए आरोपित बनाए गए 29 आबकारी अधिकारियों में से 22 को निलंबित किया था। जबकि सात अन्य विभाग से सेवानिवृत हो चुके हैं।

**नोटिस के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे अधिकारी :** शराब घोटाले में आरोपित बनाए गए 29 आबकारी अधिकारियों को ईओडब्ल्यू की ओर से समन जारी किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के डर से कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अब कोर्ट ने इन सभी आरोपितों को 20 अगस्त तक पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।

कोर्ट । ● प्रतीकात्मक चित्र

**ये 22 अधिकारी हुए हैं निलंबित :** शराब घोटाले में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जनार्दन कौरव, प्रमोद कुमार नेताम, नितिन खंडुजा, मंजुश्री कसेर, उपायुक्त अनिमेष नेताम, विजय सेन शर्मा, अरविंद कुमार पाटले, नीतू नोतानी ठाकुर, नोहर सिंह ठाकुर, सहायक आयुक्त आबकारी रामकृष्ण मिश्रा, राजेश जायसवाल, विकास कुमार गोस्वामी, नवीन प्रताप सिंग तोमर, सौरभ बख्शी, दिनकर वासनिक, सोनल नेताम, प्रकाश पाल, अलेख राम सिदार, आशीष कोसम, जिला आबकारी अधिकारी इकबाल खान, मोहित कुमार जायसवाल, गरीबपाल सिंह दर्दी समेत सेवानिवृत्त सात आबकारी अधिकारियों में जेआर मंडावी, जीएस नुरूटी, देवलाल वैष, एके अनंत, वेदराम लहरे और एलएल ध्रुव भी आरोपित बनाए गए हैं। एक अन्य अशोक सिंह का निधन हो चुका है।

**अब तक 13 आरोपित गिरफ्तार :** इस घोटाले में अब तक अनिल टूटेजा, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, विजय भाटिया सहित कुल 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दर्ज एफआइआर में 70 आरोपित नामजद हैं। चतुर्थ पूरक चालान कोर्ट में पेश करने की तैयारी जांच एजेंसी कर रही है।